राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1038/2023

चन्दीराम जसवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक विधिक मेट्रोलॉजी, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2023
आदेश की दिनांक : 12.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हर्षवर्द्धन, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बहाल कर निलंबन अवधि को सेवाकाल माना जावे और समस्त वेतन भुगतान निलंबन काल अवधि का मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के पद पर जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसको अपीलार्थी ने चुनौती देते हुए कथन किया है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के विपरीत जाकर जारी किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 14.07.2017 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी कर अपीलार्थी की कार्यवाहक उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर की सेवाएं पुनः खाद्य विभाग में समर्पित की गई हैं, नियम विरूद्ध जारी किया गया है क्योंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.09.2016 से सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान जयपुर के पद पर नियुक्ति दी गई और जिला रसद अधिकारी का पद उप नियंत्रक पद के समकक्ष

होने पर अपीलार्थी को उप नियंत्रक के पद पर दिनांक 21.09.2016 को नियंत्रक विधिक माप विज्ञान राजस्थान के पद का भी संशोधन कर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान को सम्पूर्ण राज्य के लिए नियंत्रक विधिक माप विज्ञान नियुक्त कर अधिसूचित किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 27.07.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14, 15, 17, 25/07/2017 को अधिकरण में चुनौती देते हुए अपील संख्या 1262/2017 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2017 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया और आदेश दिनांक 14.06.2018 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15164/2018 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2019 की पालना में विभाग द्वारा अपीलार्थी को उप नियंत्रक के पद का कार्य सौंप दिया गया। विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को फिर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और इस प्रकार बार–बार न्यायालय की शरण लेने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गृह विभाग उडीसा सरकार बनाम विमल कुमार मोहंती (1994)4 एससीसी 126 में पारित निर्णय में भी ऐसे निलंबन आदेशों को अनुचित माना है। इसी प्रकार कृष्णा राम विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2013 एससीसी राज 1790 में पारित निर्णय में भी इस प्रकार निलंबन आदेशों को अयुक्तियुक्त माना है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.06.2013 में यह स्पष्ट है कि निलंबन आदेश बडे दण्ड जो नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दिए गए हों और नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की गई है, के आधार पर ही आदेश जारी किए जा सकते हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त आलोच्य आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा उक्त आदेश को स्थगित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्रता दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2023 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा किए गए निलंबन को समाप्त किया जाकर बहाल कर दिया गया। परंतु निलंबन कालावधि में केवल निर्वाह भत्ता ही देय होगा, का आदेश किया गया है, जो नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बहाल कर निलंबन अवधि को सेवाकाल माना जावे और समस्त वेतन भुगतान निलंबन काल अवधि का मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 17 के अंतर्गत जारी चार्जशीट के आधार पर निलंबित किया गया था, जो पूर्णरूप से नियमानुसार आदेश जारी किया गया है क्योंकि उक्त आदेश नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के पद पर जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 14.07.2017 के द्वारा खाद्य विभाग में समर्पित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 27.07.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14, 15, 17, 25/07/2017 को अधिकरण में चुनौती देते हुए अपील संख्या 1262/2017 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2017 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15164/2018 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2019 की पालना में विभाग द्वारा अपीलार्थी को उप नियंत्रक के पद का कार्य सौंप दिया गया। विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को फिर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और इस प्रकार बार–बार न्यायालय की शरण लेने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आलोच्य आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा उक्त आदेश को

स्थगित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्रता दी गई। जहां तक अपीलार्थी को निलंबन काल अवधि के दौरान पूरा वेतन व भत्ते न दिए जाने का प्रश्न है, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.07.2023 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि *''श्री चन्दीराम जसवानी (अपीलार्थी) उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को दिनांक 23.09.2022 के आदेश से किए गए निलंबन को समाप्त किया जाकर बहाल किया जाता है तथा उन्हें निलंबन कालावधि में केवल निर्वाह भत्ता ही देय होगा। पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए श्री जसवानी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।''* इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का निलंबन समाप्त कर बहाल किया गया है, परंतु उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा निलंबन कालावधि में केवल निर्वाह भत्ता ही देय है, का आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को दण्डित किया जाकर बहाल किया गया है, जो हमारे मत में अपीलार्थी सेवा नियमों के अनुसार निलंबन कालावधि का वेतन भत्ता आदि सभी परिलाभ प्राप्त करने का हकदार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य